डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2023/HQ/Admin/RTI-611 **New Delhi: 21.07.2023**

श्री अक्षय कुमार
चेम्बर नंबर D-1-5 प्रथम तल, कलेक्ट्रेड कम्पाउंड
कचहरी मुजफरनगर
उत्तर प्रदेश
मोबाइल-9219778568

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 17.05.2023, जो CGM/Meerut के कार्यालय द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 20.07.2023 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है। आइटम नंबर 1, 6, 7 & 10 के लिए आपका आवेदन, आपको सीधे उत्तर देने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत रेल मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 08 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)
संयुक्त महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
9717636811

Copy to:

CGM/Meerut : For information Please

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2023/HQ/Admin/RTI-611 **New Delhi: 27.07.2023**

The CPIO
Ministry of Railways
Railway Board
New Delhi-110001

Subject: Providing information w.r.t. Original RTI Application received under the RTI Act 2005.

Reference: RTI application of Sh. Akshay Kumar.

Enclosed please find an RTI application received from Sh. Akshay Kumar transferred under Section 6(3) of RTI Act 2005 to your office.

Information on **points No. 1, 6, 7 & 10** pertaining to your office may please be provided to the applicant directly under intimation to this office. Information w.r.t remaining points have been provided to the applicant.

(S.K. Panda)
JGM/Admn.(CPIO)
Mob.-9717636811
E-mail: skpanda@dfcc.co.in

Copy to:

1. Sh. Akshay Kumar
Chember No. D-1-5
Mujaffarnagar
UP : For information please

2. CGM/Meerut

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd
A Govt. of India (Ministry of Railway) Enterprises

पत्रांक:-एम.टी.सी./ई.एन./आर.टी.आई./मेरठ/वोल्यूम-9

दिनांक 09.06.2023

जे.जी.एम./एडमिन/(सीपीआईओ),
डी.एफ.सी.सी.आई.एल. कार्पोरेट ऑफिस
न्यू दिल्ली।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- (i) आवेदनकर्ता श्री अक्षय कुमार पता चैम्बर-नं0-डी-15 पृथमतल कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड कचहरी मुजफ्फरनगर मो0 9219778168 का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.05.2023
(ii) पावर ग्रिड का पत्र संख्या-पावर ग्रिड /उ.क्षे.1/आर.टी.आई./2220/32 दिनांक 28.04.2023

क्र.सं.	प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	सूचना की दिनांक 15.11.2017, भारत सरकार के आदेश संख्या 2012/ELECT(G)/150/1(DFCCIL) दिनाँक 15.11.2017 Dir.Elec. Engg. (PS) Railway Board द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित कॉपी।	यह सूचना रेलवे बोर्ड से प्राप्त की जा सकती है।
2	उक्त आदेश का गजट कब किया गया और प्रकाशन कब किया गया	सम्बंधित सूचना आपके RTI पत्र दिनाँक 28.03.2023 के सन्दर्भ में पावरग्रिड द्वारा पत्र संख्या:-पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर.टी.आई/2219 31 दिनाँक 28.04.2023 के बिंदु संख्या 1, 2,3 में दी जा चुकी है। (कापी संलग्न है।)
3	क्या DFCCIL द्वारा 132KV के० वी० D/C जड़ौदा नरा हापुड़ पारेषण लाइन भैंसी शेरपुर, तहसील- खतौली, जिला - मुजफ्फरनगर में लाइन निकालने का गजट नोटिफिकेशन कब जारी किए गए व किस समाचार पत्र में प्रकाशन किया गया व किस पेज पर।	
4	खसरा नंबर 380/1 शेरपुर, तहसील - खतौली में किसान के खेत में पारेषण लाइन का टावर लगाने की सूचना किसान को कब दी गई। वह किस डाक के माध्यम से किस दिनांक को डाक रसीद की फोटो कॉपी देने की कृपा करें।	
5	DFCCIL द्वारा किसानों को बिना प्रतिकार दिए बिना भूमि के टावर लगाने का आदेश जारी किया गया है।	सम्बधित सूचना आपके RTI पत्र दिनाँक 28.03.2023 के सन्दर्भ में पावरग्रिड द्वारा पत्र संख्या:-पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर.टी.आई 2219 31 दिनाँक 28.04.2023 के बिंदु संख्या 1, 2,3 में दी जा चुकी है। (कापी संलग्न है।)
6	उपरोक्त दिनाँक 15.11.2017 के आदेश किस धारा व् किस अधिनियम में पारित किया गया।	क्र० संख्या -1 से सम्बंधित है।
7	क्या लगाए जा रहे विद्युत टावर रेलवे एक्ट के आधीन लगाए जा रहे हैं या विद्युत अधिनियम के तहत।	

3rd Floor, Shri Bala Jee Commercial Complex, Plot No.C-2, Pocket-B, Sector-1, Ved Vyaspuri, By Pass NH-58, Meerut-250002
Telefax: 0121-2439040 & 50

8	रेलवे द्वारा(DFCCIL) जो विद्युत लाइन पारेषण लाइन 132 के० वी० नरा -जड़ौदा -सकौती - हापुड़ लाइन विद्युत अधिनियम के अंतर्गत किया गया या रेलवे अधिनियम के अनुसार।	
9	जड़ौदा - नरा -सकौती DFCCIL पारेषण लाइन जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कब से कब तक लगायी जा रही है। वह यह पूर्ण करनी है तथा उक्त लाइन में किसे सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है।	पावर ग्रिड के पत्र संख्या-PG/NR/MRT/428 dated 01.06.2023 पैरा संख्या-9 के अनुसार उक्त पारेषण लाइन का निर्माण 2017 से किया जा और इस लाइन को आवेशित करने का लक्ष्य जून 2023 रखा गया है। वर्तमान में मुख्य महाप्रबंधक मेरठ इस पारेषण लाइन के सक्षम अधिकारी हैं।
10	किस अधिनियम के अनुसार कृषकों की भूमि में DFCCIL पारेषण लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है।	क्र० संख्या -1 से सम्बंधित है।

12/6/2023

परियोजना प्रबन्धक/जनसूचना अधिकारी,
डी.एफ.सी.सी.आई.एल. मेरठ।

प्रतिलिपि:-

1) मुख्य महाप्रबन्धक/डीएफ.सी.सी.आई.एल, मेरठ- को सूचनार्थ हेतू प्रेषित है।
2) जीएम/एमए/ईसी- III- सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
3) जेजीएम/एमए/ईसी- II- सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

3rd Floor, Shri Bala Jee Commercial Complex, Plot No.C-2, Pocket-B, Sector 1, Ved Vyaspuri, By Pass NH 58, Meerut 250002
Telefax: 0121-2439040 & 50

पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

Ref PG/NR-I/MRT/1128 Date: 01.06.2023

सेवा में
जन सूचना अधिकारी /
परियोजना प्रबन्धक (विद्युत)
डी एफ सी सी आई एल
मेरठ ।

विषय: श्री अक्षय कुमार, चेम्बर न. D/1-5, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट कम्पाउड, कचहरी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना के प्रार्थना पत्र निस्तारण के सम्बन्ध में ।
सन्दर्भ:- CPM/MTC/EN/RTI/Vol-VIII/482 दिनांक 22.05.2023 ।

महोदय,
उपरोक्त विषयानुसार आपके पत्रांक CPM/MTC/EN/RTI/Vol-VIII/482 दिनांक 22.05.2023 के साथ संलग्न श्री अक्षय कुमार, चेम्बर न D/1-5, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट कम्पाउड, कचहरी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना इस प्रकार है ।

1. बिंदु संख्या 01 में मांगी गयी सूचना DFCCIL से सम्बन्धित है ।
2. बिंदु संख्या 02 में मांगी गयी सूचना DFCCIL से सम्बन्धित है ।
3. बिंदु संख्या 03 में मांगी गयी सूचना DFCCIL से सम्बन्धित है ।
4. बिंदु संख्या 04 में मांगी गयी सूचना DFCCIL से सम्बन्धित है ।
5. बिंदु संख्या 05 में मांगी गयी सूचना DFCCIL से सम्बन्धित है ।
6. बिंदु संख्या 06 में मांगी गयी सूचना DFCCIL से सम्बन्धित है ।
7. बिंदु संख्या 07 में मांगी गयी सूचना DFCCIL से सम्बन्धित है ।
8. बिंदु संख्या 08 में मांगी गयी सूचना DFCCIL से सम्बन्धित है ।
9. उक्त पारेषण लाईन का निर्माण 2017 से किया जा रहा है और इस लाईन को आवेशित करने का लक्ष्य जून 2023 रखा गया है । वर्तमान में मुख्य महाप्रबन्धक, मेरठ इस पारेषण लाईन के सक्षम अधिकारी है ।
10. बिंदु संख्या 10 में मांगी गयी सूचना DFCCIL से सम्बन्धित है ।

महोदय, आवेदक दवारा मांगी गयी सूचना में बिंदु संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10 आपसे (DFCCIL) से सम्बन्धित है । अत: आवेदन की मूल प्रति (₹ 10/- के नोट न.23L356930 के सहित) आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करे । धन्यवाद ।

(अशोक कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक
मेरठ
C/C

प्रतिलिपि - श्री अक्षय कुमार (9219778568) चेम्बर न. D/1-5, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट कम्पाउड, कचहरी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ।

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN No. L40101DL1989GOI038121

POWERGRID

Northern Region-1 Headquarters, SCO 5-10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर. टी. आई./2219/-31 दिनांक:28.04.2023

सेवा में,

श्री अक्षय कुमार,
चैम्बर न.-D1/05, कलेक्ट्रेट कम्पाउंड,
कचहरी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2023 के संदर्भ में

महोदय,

आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2023 के संदर्भ में आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बिंदु न.1 से 20 तक की जानकारी चाही है जो निम्न है:

बिंदु न.	जानकारी का सार	पावरग्रिड द्वारा प्रदान की गई जानकारी
1.	पावरग्रिड कॉरपोरेशन लि. 765/400/220 के. वी. स्ब. स्टेशन रुडकी रोड मटौर मेरठ के महाप्रबंधक द्वारा ग्राम भैसी परगना व तहसील खतौली जिला-मुजफ्फरनगर के कृषको अक्षय कुमार व पुत्रगण स्व. आजाद सिंह व श्रीमति राजेश पत्नी स्व. आजाद सिंह की ग्राम शेरपुर परगना व तहसील खतौली जिला मुजफ्फरनगर में स्थित कृषि भूमि की खसरा न. 380/1 में जिसमें गन्ने की नर्सरी खडी थी में 132 के.वी. पावर हेतु किस तारिख में किस समाचार पत्र में गजट का प्रकाशन हुआ।	ग्राम भैसी में 132 के. वी. D/C जडौदा नरा-सकौती DFCCIL पारेषण लाईन का निर्माण किया जा रहा है । यह ट्रांसमिशन लाईन पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL a PSU under Ministry of Railways) के लिए परामर्श सेवा के अंतर्गत निर्माण किया जा रहा है। इस लाईन निर्माण का कार्य रेल मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं.2012/Elect(G)/150/1 (DFCCIL) दिनांक 15.11.2017 जो कि श्री पुनित अग्रवाल, Dir. Elec. Engg.(PS), Railway Board ने जारी किया है के द्वारा मिला है। इस आदेश के माध्यम से Railway Act 1989 की धारा 11(a) & (g) के तहत लाईन निर्माण के लिए अधिकृत किया है।
2.	गजट या सूचना का प्रकाशन किस सक्षम अधिकारी द्वारा कराया गया है व कब।	
3.	किस अधिनियम के अनुसार कृषको की भूमि में टावर लगाने का कार्य चल रहा है।	

...2

4.	कृषको की भूमि को खुर्द-बुर्द करने का क्या मुआवजा या प्रतिकर दिया गया/जायेगा व खुर्द-बुर्द करने की गणना किस अधिकारी द्वारा की गयी।	कार्य करने के दौरान यदि कोई क्षति होती है तो रेलवे अधिनियम 1989 के Chapter IV की धारा 11 & 15 के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाती है।
5.	कृषको की भूमि जिस पर आप सूचना अधिकारी द्वारा खेत की भूमि गढढे कर रोडी फैलाकर जो कृषि योग्य भूमि खराब की गयी उसका प्रतिकर/मुआवजा कितने वर्षो तक का दिया जाएगा।	कार्य करने के दौरान यदि कोई क्षति होती है तो एक बार रेलवे अधिनियम 1989 के Chapter IV की धारा 11 & 15 के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाती है।
6.	कृषक की भूमि आप सूचना अधिकारो द्वारा अउपजाऊ की गयी इसको उपजाऊ के लिए क्या किया जाएगा वह कब तक।	इस तरह को कोई प्रावधान नही है।
7.	कृषको की भूमि (खेत) तक पहुचने का रास्ता आप के द्वारा नष्ट कर दिया गया जिससे कृषक अपने खेत तक नही पहुंच पा रहा है क्या आपको इससे ठीक कराना चाहिए या नहीं।	कार्य करने के दौरान यदि कोई रास्ता खराब होता है तो उसको ठीक कर दिया जाता है।
8.	टावर फाउंडेशन का गड्ढा खुदाई के लिए आप लोगो द्वारा लायी गयी मशीन से सिचाई नाली खराब कर दी गयी जिससे अनेक किसानो की फसल खराब जो रही है क्या आपके द्वारा उनको भी मुआवजा / प्रतिकर दिया जाएगा अगर नहीं तो क्यों नही।	कार्य करने के दौरान नाली से पानी निकासी में कोई समस्या नही आई है।
9.	आपके द्वारा निकाली जा रही पारेषण लाइन में सक्षम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है वह कब।	वर्तमान में वरि० महाप्रबंधक, मेरठ इस पारेषण लाईन के सक्षम अधिकारी है।
10	क्या आपके द्वारा कराया गया कार्य (THE WORKS OF LICENSEE RULES, 2006) के अंतर्गत नियमो का पालन करते हुए कराया गया या नहीं अगर है तो सक्षम प्राधिकारी किसे नियुक्त करा गया वह किस तारिख को। उक्त नियम के अनुसार कृषको के अधिकारो की रक्षा की गयी या नहीं, वह इसका प्रकाशन कब व किस तारिख को वह किस समाचारपत्र मे दिया गया।	THE WORKS OF LICENSEE RULES, 2006 के तहत नही किया गया है। इस लाईन निर्माण का कार्य पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL a PSU under Ministry of Railways) के लिए परामर्श सेवा के अंतर्गत किया जा रहा है। इस लाईन निर्माण का कार्य रेल मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं.2012/Elect(G)/150/1(DFCCIL) दिनांक 15.11.2017 के माध्यम से Railway Act 1989 की धारा 11(a) & (g)
11.	कृषक को सूचना क्यो नही दी गयी। अगर दी गयी तो किस डाक विभाग द्वारा किस तारिख को सूचना पत्र भेजा गया।	
12.	क्या कार्य करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित आदेश प्राप्त किया गया अगर नही तो क्यों नही अगर किया गया तो उसकी कापी।	

...3

		के तहत लाईन निर्माण के लिए अधिकृत किया है।
13	खसरा न.380/1 में लगाया जा रहा टावर के प्रयोग में क्या पावरग्रिड द्वारा प्रतिवर्ष किराया या एक बार में प्रतिकर दिया जाएगा अगर है तो कितना।	कार्य करने के दोरान यदि कोई क्षति होती है तो रेलवे अधिनियम 1989 के Chapter IV की धारा 11 & 15 के अनुसार एक बार प्रभावित कास्तकारो को क्षतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव उ.प्र.शासन के पत्रांक संख्या 2643/24-पी-3 2019 के अनुसार वर्तमान क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त लेंड क्षतिपूर्ति के मद में टावर बेस के निचे सर्किल रेट का 85% का भुगतान भी किया जाता है।
14.	भूमि अर्जन और पुनर्वासन तथा पुनर्वस्थापन को विनियमित करने वाली अधिनियमितयों की सूची संख्या 12 पर विधुत अधिनियम 2003 को Act की धाराओ मे क्यो पालन नही किया गया।	
15.	क्या किसान लाइन के नीचे बची अपनी भूमि में बागीय फसल (आम आदि) की फसल या पौधे लगा सकते है या नही।	लाईन के निचे कम ऊंचाई की प्रजाति के पोधे लगाये जा सकते है।
16.	आपके द्वारा कितने दिनों/वर्षो के लिए टावर लगाया जा रहा है व क्या पारेषण का कार्य प्रधानमंत्री महोदय की निगरानी में है।	इस लाईन निर्माण का कार्य डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL a PSU under Ministry of Railways) के लिए परामर्श सेवा के अंतर्गत किया जा रहा है। कार्य पूर्ण होने के उप्रांत लाईन को Handover कर दिया जायेगा। कितने वर्षो के लिये टावर लगाया जा रहा है से सम्बंधित जानकारी आप DFCCIL से ले सकते है। 132 KV DFCCIL परियोजना की निगरानी PMO द्वारा की जा रही है।
17.	धारा 164 विधुत अधिनियम 2003 के अंतर्गत गजट का प्रकाशन कब किया गया। वह सक्षम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया।	मांगी गई जानकारी स्पष्ट नही है।
18.	पारेषण लाइन कहा से कहा तक लायी जा रही है व किस प्रयोग हेतू लायी जा रही है।	ग्राम भैंसी में 132 kV D/C Jarauda Nara TSS (Railways)-Hapur Detour TSS (DFCC) DFCCIL पारेषण लाईन का निर्माण किया जा रहा है। इस लाईन से DFCCIL के TSS को विधुत आपूर्ति की जायेगी।
19.	धारा 164 विधुत अधिनियम 2003 के अंतर्गत किस लोक सेवक/प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा लिखित आदेश दिया गया आदेश की कॉपी देने की कृप्या करें।	मांगी गई जानकारी स्पष्ट नही है।

...4

20.	प्रतिकर, भूमि अर्जन, पुनवसिन और पुनविस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार क्यो नही दिया गया।	इस लाईन निर्माण का कार्य, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं.2012/Elect(G)/150/1(DFCCIL) दिनांक 15.11.2017 के द्वारा Consultancy work के रुप में पावरग्रिड द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। इस आदेश के माध्यम से Railway Act 1989 की धारा 11(a) & (g) के तहत लाईन निर्माण के लिए अधिकृत किया है तथा प्रतिकर Railway Act 1989 की धारा 11 एवं 15 के अनुसार किया जा रहा है।

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1), प्रथम अपीलीय प्रधिकारी

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,

SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002,

फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद।

भवदीय

[राजेश वी.]

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1

फोन न.0129-2666305